

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान


~~सुरप्रताप पुत्र बिक्रम पाणि~~ वनाम ~~राजस्थान सरकार जयपुर~~
~~वापस विवामी सरदारसवाह~~ ~~रक्षीतदात मादरा~~
दावा बाबत :- 88 RTA
मुकदमा नम्बर :- 126/21
निर्णय दिनांक :- 01.11.21

वादी की ओर से वकील ~~लीतापर अग्रवाल~~ की व प्रतिवादीगण की ओर से
वकील ~~पैरोमराज~~ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.11.21 को
मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश
दिया जाता है कि

~~राधी गौजा चक पवागनी रवाहा स० 108/109~~
~~के मु० न० 8 के डिमा न० 2 गा० प, 17 गा० 2 प, मु० न० 19~~
~~के डिमा न० 2 गा० प नि कुल प. 8070 हे० में वादी के~~
~~नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिगर्ड में दर्ज है, में वादी के नाम~~
~~सुरप्रताप पुत्र बिक्रम की जगह सुरप्रताप पुत्र बिक्रम की~~
~~शोषणा की जारी है, शरी अनुभार राजस्व रिगर्ड में रिगर्ड~~
~~उक्त रिषा जान अंगन रिषा जावे।~~

खाचा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शंकुतला चौधरी
(आर0 ए0 एस0)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
हनुमागढ़